बिहार जागे... देश आगे

प्रभात खबर

पटना । मुजफ्फरपुर । भागलपुर । गया । रांची । जमशेदपुर । धनबाद । देवघर । कोलकाता । सिलीगुड़ी से प्रकाशित

पटना, गुरुवार

15.02.2018

फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या संवत 2074

पृष्ठ 30 (22+08 पेज का अवसर)

मूल्य : ₹ 3.50 नगर संस्करण

वर्ष : 21, अंक : 280

रजिस्ट्रेशन : आर एन 66055/96

prabhatkhabar.com

एमओयू कर नयी दिल्ली की कंपनी देगी सेवा

छोटे व मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए जीएसटी सुविधा केंद्र

जीएसटी सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते अधिकारी.

संवाददाता ▷ पटना

क्या आपने आखिरी जीएसटी रिटर्न भर दिया है? कहां और कैसे भरना है. इसे लेकर परेशान हैं तो अब आपकी परेशानी दूर करेंगे जीएसटी सुविधा केंद्र. बिहार में पहली बार बीएसएनएल की ओर से जीएसटी सुविधा केंद्र की शुरुआत की गयी है. इसके लिए मेसर्स टैक्समैन नयी दिल्ली के साथ बीएसएनएल के बीच एमओयू किया गया है. बीएसएनएल के माध्यम से बिहार के पहले जीएसटी सुविधा केंद्र की स्थापना की गयी है. यह जानकारी बुधवार को जीएसटी सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते हुए बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक जीसी श्रीवास्तव ने दी. मौके पर बिहार झारखंड के सीजीएसटी के मुख्य आयुक्त एसएन सिंह अनिवेदन, बीएसएनएल के पदाधिकारी राजीव कुमार, एस राजहंस, एके मिश्रा, जनसंपर्क पदाधिकारी वीणा मिश्रा व विक्रय एवं विपणन के उप महाप्रबंधक मनीष कुमार उपस्थित रहे.

अन्य जिलों में भी खोले जायेंगे केंद्र: कार्यक्रम में मौजूद बिहार झारखंड के सीजीएसटी के मुख्य आयुक्त एसएन सिंह अनिवेदन ने बताया कि जीएसटी सुविधा केंद्र कारोबारियों और कारोबारी इकाइयों को रिटर्न फाइल करने की सुविधा प्रदान करने के दिशा में एक पहल है. जीएसटी में कारोबारियों को हो रही असुविधा के कारण जीएसटी सुविधा प्रदाता कंपनी पूरे बिहार में सुविधा केंद्र खोलने की तैयारी में है. इन सुविधा केंद्रों का दायरा बढ़ाने के लिए बीएसएनएल से करार किया गया है. उन्होंने बताया कि देश भर में जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए साझेदारी की गयी है. इसके जरिये सूक्ष्म और लघु उपक्रमों तक अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए मार्च तक इन सुविधा केंद्रों का विस्तार भी किया जाना है. इसके जरिये नये डीलरों का जीएसटी निबंधन, संशोधन एवं उनके निराकरण किया जायेगा. ये सभी सुविधाएं मेसर्स टैक्समैन के वन सोल्यूशन जीएसटी सॉफ्टवेयर की मदद से जीएसटी संबंधी सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में छोटे व मध्यम वर्ग के व्यापारियों की मदद करेगी. केंद्र पर कार्यरत कर्मी आवश्यक आंकड़ों के आधार पर जीएसटी रिर्टन तैयार करेंगे. इसके बाद सभी प्रकार के जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से लेकर करों का भुगतान व चालान निकालने के कार्यों को पूरा कर सकेंगे.